न्यायालय जिला कलेक्टर एंव प्रथम अपील अधिकारी ,टोंक

प्रकरण संख्या 1/2021

हरीश भारद्वाज पुत्र महेश चन्द शर्मा मानव सेवा आश्रम के पास ,शहर सवाई माधोपुर राज0

--अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी, उनियारा

--प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 1-2-2021

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना को अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक कार्यालय में दिनांक 5-8-2020 को आवेदन पत्र प्रेषित/प्रस्तुत किया। आवेदन पत्र में चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी एंव निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस0डी0एम0) उनियारा सम्बन्धित होने से सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत उक्त प्रार्थना पत्र लोक सूचना अधिकारी एंव निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस0डी0एम0) उनियारा को अन्तरित कर सूचना उपलब्ध करवाने हेतु निर्देशित किया गया। अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गई थी :-

1-भगवान सहाय वैद्य, सरपंच, अलीगढ़, रामपुरा तह. उनियारा, जिला टोंक कब के कब तक सरपंच के पद पर कार्य कर रहे हैं। सत्यापित प्रतिलिपि देंवे।

2- भगवान सहाय वैद्य के द्वारा कुल कितने चुनाव लड़े गए हैं उनकी सत्यापित प्रतिलिपि देंवें।

3-भगवान सहाय वैद्य के सरपंच कार्यालय में उनके विरूद्ध कितने शिकायत पत्र कार्यालय को प्राप्त हुए हैं। समस्त शिकायत पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि देंवें।

4-भगवान सहाय वैद्य के द्वारा अपने कार्यालय में करवाए गए समस्त कार्यो की सत्यापित प्रतिलिपि देवें।

5-भगवान सहाय वैद्य के विवरण के अनुसार उनकी कुल कितनी पत्नियां के नाम दर्ज है इसकी सत्यापित प्रतिलिपि देंवें

6- भगवान सहाय वैद्य के विभागों को दिए गए दस्तावेजों में कितनी पत्नियों के नाम दर्ज है इसकी सत्यापित प्रतिलिपि देवें।

7- भगवान सहाय वैद्य के द्वारा विभाग को दिए गए दस्तावेजों के अनुसार समस्त आवेदन फार्म की सत्यापित प्रतिलिपि देंवें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:10:26 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

8– भगवान सहाय वैद्य, सरपंच, अलीगढ़ रामपुरा, तह. उनियारा , जिला टोंक के द्वारा चुनाव में भरे गए फार्म की सत्यापित प्रतिलिपि।

9–भगवान सहाय के विरूद्ध द्वितीय स्थान पर रहे उम्मीदवार के चुनाव की प्रतिलिपि।

10– विभाग के द्वारा चुनाव की कौन–कौनसी साम्रगी नष्ट की गई है उनकी सत्यापित प्रतिलिपि देंवे।

11–भगवान सहाय वैद्य के विरूद्ध यदि कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज है तो उसकी सत्यापित प्रतिलिपि देंवे।

अपीलार्थी को उक्त वर्णित आवेदित सूचना समयावधि समाप्त हो जोने के उपरान्त भी उपलब्ध न करवाये जाने पर यह अपील अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा प्रत्यर्थी से प्रस्तुत अपील के सम्बन्ध में जवाब तलब किया गया जिसके क्रम में लोक सूचना अधिकारी एंव निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस0डी0एम0) उनियारा के पत्र क्रमांक निर्वाचन आरटीआई/2021/458 दिनांक 31–1–2021 से प्राप्त जवाब अनुसार अपीलार्थी द्वारा सूचना का विवरण अस्पष्ट व अपूर्ण होने के कारण आवेदक को पत्र क्रमांक 8906 दिनांक 24–9–2020 द्वारा सूचित किये जाने पर विवरण प्राप्त नहीं होता अंकित किया है। हमने जवाब व पत्रावली का अध्ययन किया जिससे जाहिर है कि आवेदक को उनके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र में आवेदित सूचना निर्धारित समयावधि में उपलब्ध नहीं करवाई गई है। जबकि अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है। फलतः अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एंव निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस0डी0एम0) उनियारा को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित सूचना/कार्यालय में उपलब्ध व सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्राप्ति से 20 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। अपीलार्थी व लोक सूचना अधिकारी एंव निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस0डी0एम0) उनियारा सूचित किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

(गौरव अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:10:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner